

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाजी प्रभुदास देसाजी

अंक २६

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २९ अगस्त, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें ₹० ६
विदेशमें ₹० ८; शि० १४

हमारे सामने विकल्प

श्री कुमारप्पाको मुझसे शिकायत है कि अखिल भारत ग्राम-अधोग-संघको बनाने और रास्ता दिखानेवाला होकर भी ऐसा लगता है कि मैं उसे सीतेला लड़का-सा समझता हूँ। मैंने भी अन्हें जवाबमें सुना दिया है कि यह शिकायत गहरा विचार न करनेके कारण है। मगर वे यों ही हार मान लेनेवाले थोड़े ही हैं। जिसलिये वे बार-बार मुझ पर यही अिल्जाम लगाते रहते हैं। अन्हें तब तक संतोष नहीं होगा, जब तक मैं दुनियामें यह ढिढोरा न पीट दूँ कि दूसरे ग्राम-अधोगोंका वही दर्जा है जो खादीका है। जहां तक सिद्धान्तसे ताल्लुक है, मेरे नजदीक वह अितना साफ है कि खोलकर समझानेकी जरूरत ही नहीं। मगर जहां तक अुस पर अमल होनेका सवाल है, श्री कुमारप्पाकी बात सही है। लोग सिद्धान्त पर नहीं चला करते। यही वजह है कि कभी आदमियोंने अिन्हीं दिनों मुझे शिकायत की है कि हम अैसे लोगोंको जानते हैं जो खादी तो अिस्तेमाल करते हैं, पर गांवोंकी बनी हुअी दूसरी चीजें काममें नहीं लेते। अुनका खयाल यह मालूम होता है कि बहुतेसे कांग्रेसी खादी तो जिसलिये पहन लेते हैं कि वह (कांग्रेस) विधानकी रूसे जरूरी है, मगर खादीमें अुनका विश्वास न होनेसे, जहां तक दूसरी चीजोंका संबंध है, वे अपनी सुविधाके सिवाय और किसी बातका खयाल ही नहीं करते। अिसे मैं शब्दका पालन और भावनाका हनन कहता हूँ। और जहां भावना मर गयी, वहां शब्द अुतना ही बेकार है जितना कि प्राण्णखेरू अुड़ जाने पर शरीर बेकार हो जाता है।

मैंने अकसर कहा है कि खादी मध्यवर्ती सूर्य है और दूसरे ग्राम-अधोग ग्रहोंकी तरह अुसके चारों तरफ धूमते हैं। अिनकी कोअी स्वतंत्र हस्ती नहीं है। अिसी तरह दूसरे ग्राम-अधोगोंके बिना खादी नहीं जी सकती है। ये सब पूरी तरह अेक दूसरे पर निर्भर हैं। सच तो यह है कि हमें गांवोंवाला भारत या शहरोंवाला भारत, अिन दो में से अेकको चुन लेना है। देहात अुसी समयसे हैं जबसे यह देश है। शहरोंको विदेशी आधिपत्यने बनाया है और जब यह आधिपत्य मिट जायगा, तो शहरोंको देहातके मातहत होकर रहना पड़ेगा। आज तो शहरोंका बोलबाला है और वे गांवोंकी दौलत खींच लेते हैं। अिससे गांवोंका ह्रास और नाश हो रहा है। गांवोंका शोषण खुद संगठित अिसा है। अगर हमें स्वराज्यकी रचना अहिंसाके पाये पर करनी है, तो गांवोंको अुनका वाजिब स्थान देना पड़ेगा। यह तब तक नहीं होगा, जब तक कि शहरी कारखानोंमें बनी हुअी चीजोंके बजाय गांवोंकी बनी चीजें अिस्तेमाल करके हम ग्राम-अधोगोंको फिरसे अैवित न कर देंगे।

शायद अब यह स्पष्ट हो गया कि मैं खादी और अहिंसाको अेक ही चीज क्यों बताता हूँ। खादी गांवकी मुख्य

दस्तकारी है। खादी मरी कि अुसके साथ ही गांव और अहिंसा दोनों मरे। यह मैं आंकड़ोंसे साबित नहीं कर सकता। अिसका प्रमाण प्रत्यक्ष है।

(हरिजनसेवक, २०-१-४०)

मो० क० गांधी

बेकारीकी समस्या

कामकी बुनियाद

नागरिकोंका यह धर्म है कि वे हरअेक चीजकी बुनियादमें जाकर नित्य-निरंतर विचारकी सफाअी और विचारका संशोधन करें। अिस तरह नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझकर सोचेंगे तो हमारा देश निर्भय बनेगा। देशमें नगर और ग्राम, दोनों होते हैं। देशकी बुद्धिमत्ता नगरोंमें होती है और श्रम-शक्ति ग्रामोंमें होती है। दोनोंकी अपनी-अपनी जिम्मेवारी होती है, जिसलिये दोनोंके सहयोगकी जरूरत है। नागरिकोंको देशके रक्षक साबित होना चाहिये, नित्य-निरंतर देहातोंकी सेवाके बारेमें सोचना चाहिये और अपनी सेवा देहातोंको अर्पण करनी चाहिये।

विरोधका अजीब तरीका

मद्रासमें राजाजीने तालीममें फरक करना चाहा। अुन्होंने अेक योजना बनायी, जिसके अनुसार विद्यार्थी तीन घंटे पढ़ाअी करेगा और बाकीका समय बढ़अी, बुनकर, किसान अिनमें से किसीके पास अधोग सीखनेमें बितायेगा, ताकि अुसका दिल और दिमाग, दोनों विकसित हो सकें। लेकिन कुछ लोगोंको यह विचार पसन्द नहीं आया। वे कहने लगे, "आप शहरवालोंकी बुद्धि तो बढ़ने देंगे और हमें ही श्रम करनेके लिये कहते हैं। हमें कहते हैं कि आटा पीसते रहो और हल जोतते रहो। अिसीलिये हम अिसअियोजनाका विरोध करते हैं।" अुस विरोधका तरीका अुन्होंने निकाला — ट्रेन रोकना, गड़बड़ करना। अधर बंगालमें भी वही बात हो रही है। यह जो अिसाकी शक्ति काम कर रही है, अिसका कारण मूलमें क्या है? अिस बात पर हमें सोचना चाहिये।

बेकारी बढ़ रही है

हमें स्वराज्य तो मिल गया, लेकिन सारे मसले अभी तक वैसे ही हैं। पांच सालके लिये सरकारने अेक प्लान बनाया और अुसमें से आधा समय बीत जानेके बाद अब ध्यानमें आता है कि बेकारी बढ़ रही है।

अभी आगरामें अ० भा० कांग्रेस-कमेटीकी बैठकमें अेक प्रस्तावके जरिये कहा गया है कि बेकारी बढ़ रही है, अिसलिये योजनामें संशोधन करना जरूरी है। पंचवर्षीय योजना बनी। अुसके ढाअी साल बाद अनुभव होना चाहिये था कि बेकारी कुछ तो कम हुअी। परंतु सारा अुल्टा ही अनुभव हो रहा है। अिसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग सुस्त है, ठीक ढंगसे नहीं सोच रहा है।

मैं मानता हूँ कि कोअी भी प्लान कायमके लिये नहीं बनता। वह लचीला होता है। हमारे अितनमें बहुत कुछ गड़बड़ हुअी है, अैसा कहना होगा। और फिर कुछ थोड़ा-सा साधारण

फरक करनेसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि मूलभूत गलती हुयी है। आज जो प्लान कर रहे हैं, वे सब हिन्दुस्तानके बड़े भारी देश-सेवक हैं। वे देशसेवा ही करना चाहते हैं, परंतु जहां देशका मसला हल करना है, वहां बुनियादी तौर पर न सोचा जाय तो क्या नतीजा आयगा? मैंने उनसे कहा कि आप जिस देशमें बेकारीका मसला हल करनेकी जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं, तो आपका प्लानिंग नेशनल प्लानिंग नहीं, पार्शियल प्लानिंग होगा; क्योंकि नेशनल प्लानिंगका यह पास्टुलेट—गृहीत तत्त्व—है कि देशके सब लोगोंको काम दे सकते हैं। यह कोयी सिद्ध करनेकी बात नहीं है। यूक्लिडके जो पास्टुलेट—गृहीत तत्त्व—होते हैं, वे सिद्ध नहीं करने पड़ते। जिसलिये जिस किसीने यह माना कि देशके सब लोगोंको हम काम नहीं दे सकते, उसने नेशनल प्लानिंग करनेकी अपनी अयोग्यता सिद्ध की। कोयी भी बाप, फिर वह कितना भी गरीब क्यों न हो, यह नहीं कह सकता कि मैं अपने घरके चंद लोगोंको ही खिला सकता हूँ और दूसरोंको नहीं खिला सकता। हरएक पिता कहता है कि जिस कुटुम्बमें जो कमायी होगी, वह कुटुम्बके सब व्यक्तियोंमें बंटेगी। इसी लिहाजसे मैंने देशके सामने यह बात रखी। मैंने कहा कि अक्सर हरएक घरमें पांच भायी होते हैं, जिसलिये छठा भायी दरिद्रनारायणका प्रनितिधि बनकर में आया हूँ, ऐसा मानो। वह अव्यक्त है, परंतु नारायण अव्यक्त ही होता है; जिसलिये उस पर श्रद्धा रखकर उसके लिये छठा हिस्सा दो, अंसी मैंने मांग की और मैं मानता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय सरकार अंसी मांग सब लोगोंसे कर सकती है। उसे बंसी मांग करनेका हक है और उसे सहयोग देना लोगोंका कर्तव्य है। अंसा हो तो देशमें कोयी भी भूखा नहीं रहेगा। अगर तकली देनेसे सबको काम मिलता है तो हम तकली दें। चरखा देनेसे काम मिलता है तो हम चरखा दें। यंत्रका आग्रह नहीं रखना चाहिये। या तो पार्शियल बेकारी या यंत्र, अंसा सवाल आपके सामने हो तो हम यंत्र ही अस्तेमाल करेंगे, अंसा कहना और यंत्रोंकी आसक्ति रखना ठीक नहीं है।

यंत्रोंका विरोध नहीं

यंत्र तीव्र प्रकारके होते हैं : समय-साधक, संहारक और उत्पादक।

१. समय-साधक यंत्रोंका मैं विरोध नहीं करता। ट्रेन, हवाई-जहाज जैसे यंत्रोंसे उत्पादन नहीं बढ़ता, बल्कि समय बचता है। दस हजार घोड़ोंसे हवायी जहाजकी बराबरी नहीं हो सकती, जिसलिये ऐसे यंत्रोंको हम चाहते हैं।

२. तोप, बंदूक, बम जैसे संहारक यंत्रोंका अहिंसामें स्थान नहीं है। जिसलिये ऐसे यंत्रोंको हम नहीं चाहते।

३. उत्पादक यंत्र दो प्रकारके होते हैं : पूरक और मारक। जहां लोग अधिक हैं, वहां कोयी यंत्र लोगोंको बेकार बनाता है, तो वह मारक है। पर जहां मनुष्य-शक्ति कम है और काम ज्यादा है, वहां पर वही यंत्र मारक नहीं पूरक साबित होगा। एक देशमें एक यंत्र पूरक है, तो दूसरे देशमें वही यंत्र मारक हो सकता है। हिन्दुस्तानमें बड़े-बड़े ट्रेक्टर जैसे यंत्र कानसे लाजमी तौर पर बेकारी बढ़नेवाली है। परंतु अमेरिका, आस्ट्रेलिया जैसे देशमें वे ही यंत्र मारक नहीं, उत्पादक साबित होंगे। उसी तरह एक कालमें एक यंत्र पूरक हो, तो दूसरे कालमें वही मारक बन जाता है। जिस तरह देश, काल और परिस्थितिके अनुसार कोयी भी यंत्र पूरक या मारक साबित होता है। जिसलिये यंत्र शब्दसे न हम स्नेह रखना चाहते हैं और न उसका विरोध ही करता चाहते हैं। किसी भी यंत्रकी उपयोगिता देखकर हम उसका उपयोग करेंगे। परंतु अगर हम

यंत्रकी आसक्ति रखते हैं और कहते हैं कि मिलकी बराबरी करनेकी क्षमता रखनेवाले (अफीशियेन्ट) ग्रामोद्योग नहीं हैं, जिसलिये हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारा यह चिन्तन गलत माना जायगा। केवल पश्चिममें एक बात चली जिसलिये हम भी उसके भुलावेमें आकर एक बात करते हैं—वावजूद जिसके कि गांधीजीने हमें आगाह कर दिया था—तो हम गलती करते हैं। मैंने देखा है कि जहां हम समताकी बात करते हैं, वहां सामनेवाले उसके विरोधमें विषमताकी बात तो नहीं कर सकते। परंतु वे अफीशियेन्सी, क्षमताकी बात करते हैं। वे कहते हैं कि आप समतावादी हैं, तो हम क्षमतावादी हैं। जिस तरह वे एक गुणके विरुद्ध दूसरा गुण खड़ा करते हैं, जिससे लड़ायी चल सकती है। आजकल पूंजीवादियोंने समताका ही नारा लगाया है। मैं भी क्षमता चाहता हूँ, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि कुटुम्बमें कुछ लोगोंको खाना मिले और कुछ लोगोंको नहीं। मैं चाहता हूँ कि सबको खाना मिले। अगर आजकी हालतमें ग्रामोद्योगके औजार सबको खाना देनेमें समर्थ हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिये। चंद लोगोंको बेकार रखकर हम कभी भी सक्षम बननेका दावा नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि अभी आगरामें कांग्रेस-कमेटीकी बैठकमें ग्रामोद्योगों पर ध्यान दिया गया।

ग्रामोद्योगकी आवश्यकता

आज हिन्दुस्तानमें यंत्र-तंत्र-सर्वत्र असंतोष है, बिलमें समाधान नहीं है और वह किसी-न-किसी कारणसे प्रगट होता है। लोग कभी मसले लेकर हिंसा करनेको प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि उनके दिलमें असमाधान है, जो हिंसाके रूपमें फूट निकलता है।

मैं जब शरणाथियोंमें काम कर रहा था, तब मैंने देखा कि वहांके मारवाड़ी व्यापारी सिंधी व्यापारियोंका विरोध करते थे और सिंधी-मारवाड़ी-वाद चला था। मैंने कहा कि यह वाद तो निकम्मी बात है, यह एक निमित्त बना है। कभी मारवाड़ी विरुद्ध सिंधी, कभी तेलंग विरुद्ध कन्नड़, कभी बिहारी विरुद्ध बंगाली और कभी हिंदू विरुद्ध मुसलमान, आज ये जो सारे वाद चलते हैं, उनमें मूल बात यह है कि हिन्दुस्तानमें आज उत्पादन अत्यन्त कम है और बेकारी ज्यादा है। जिसके कारण यह असंतोष निर्माण हुआ है और वह फूट निकलता है। जिसके लिये कुछ किया जाना चाहिये। असंतोष मिटानेकी कोशिश होनी चाहिये।

गांधीजीकी यह खूबी थी कि वे पहले जिसे मददकी सबसे अधिक जरूरत होती, उसे मदद देते थे। अभी कवि दुखालयने मुझे सुनाया कि मदद देनेका क्रम यह है कि पहले मुखिया, फिर दुखिया और बादमें सुखिया। परंतु आज तो जिससे बुलटा क्रम चला है। इसीलिये गांधीजी हमेशा अंसी बात सोचते थे कि जिन्हें मददकी सबसे प्रथम आवश्यकता है, उन्हें मदद देनेका तरीका ढूंढा जाय। इसीमें से चरखा निकला है। यह उनकी अद्भुत प्रतिभा थी। वह उनकी काव्य-शक्ति थी। सिर्फ कुछ सतर्क लिख डालनेसे कोयी कवि नहीं बनता है। व्यासाचार्यने कहा है 'कविः क्रान्तदर्शी'—जिसे क्रान्तिका दर्शन होता है, जिसे सूक्ष्म दर्शन होता है, वह कवि है। इसी अर्थमें गांधीजी कवि थे। उन्होंने कभी साल पहले कह दिया था कि हिन्दुस्तानके लिये ग्रामोद्योग जरूरी हैं। उन्होंने नयी तालीम, राष्ट्रभाषा, जमीनका बंटवारा आदिके संबंधमें कभी साल पहलेसे कह रखा था। कितनी उनकी महान् बुद्धिमत्ता है, कितनी उनकी प्रतिभा है, कितनी उनकी वत्सलता है!

धिनोबा

बछड़ा और शेरनी

बुनकर और मिलोंके संबंध

बुनकरोंकी एक सभामें राजाजीने कहा, "हाथ-करघे पर बुननेवाले बुनकरों द्वारा मिल-सूतकी अपेक्षा करना, गायके बछड़े द्वारा शेरनीके दूधकी अपेक्षा करनेके समान है। शेरनीके दिलमें बछड़ेको दूध पिलानेकी क्वचित् बिच्छा हुयी भी, तो वह उसे कभी न कभी चट कर ही जायेगी!"

दिल्लीवालोंका मानस

सात-आठ मास पहले आजके बुनकर कैसे टिकाये जायं, जिस पर चर्चा करते हुये राजाजीने कहा था, "घोटियां और साड़ियां बुननेकी मिलवालोंको मनाही कर दी जाय। उसके बिना बुनकरोंका रक्षण संभव नहीं।" जिससे दिल्लीवाले बेचैन हो उठे। राजाजीकी जिस सूचनाको पहले तो अन्होंने दुत्कार ही दिया। फिर काफी चर्चाके बाद जिस सूचनामें बहुत-सा पानी मिलाकर उसे पतला बना लिया गया और तब उसका घूंट बुनकरोंको पिलाना अन्होंने कबूल किया। लेकिन जिससे राजाजीको तो समाधान होनेवाला नहीं था।

दिल्लीवालोंकी बुद्धि पर पूंजीपतियोंकी जो छाप है, उसे ध्यानमें लेते हुये अन्होंने बुनकरोंको पतली-पतली कांजी ही क्यों न हो, देना स्वीकार किया, यह भी एक विशेष बात समझनी चाहिये। लेकिन अंनके लिये तो दूसरा कोजी अिलाज भी नहीं था, क्योंकि राजाजीकी सूचनाको सौ प्रतिशत ठुकरानेका मतलब होता कांग्रेसके हाथसे मद्रास प्रांतका चला जाना।

राजाजीकी महत्ता

मद्रासका कारोबार हाथमें लेते ही राजाजीने पहले चावल परसे कंट्रोल हटा लिया। परिणाम-स्वरूप राज्य स्थिर हुआ। राजाजीने कहा, "मेरा चरित्र-लेखक दूसरी कोजी बात लिखे या न लिखे; लेकिन मैंने अनाज परसे कंट्रोल हटा दिया, अतनी भी बात असने लिखी, तो मेरे जीवनका वह सार्थक होगा।" श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ देशको इसी प्रकार बचा लिया करते हैं। राज्यकी मजबूतीके लिये दूसरी जरूरी बात थी बुनकरोंको स्थिर करना। जिस-लिये फिर राजाजीने अंस प्रश्नको हाथमें लिया। अंकी हालतोंके बीच अंनके सुझावको संपूर्णतः ठुकरा देना दिल्लीवालोंके लिये संभव न था। अतः केंद्रीय सरकारने अपना पंजा शिथिल किया।

फिरसे हाथ-सूतकी ओर!

घोटियों और साड़ियोंकी हद तक मिलों पर अंकुश रखनेकी बात जब राजाजीको सूझी, तो अंनको अंस कल्पनासे अतना अत्साह महसूस हुआ कि अंस अत्साहके आवेगमें अन्होंने हाथ-सूतका आग्रह रखनेवाले खादीके बावलोंका अपह्रास भी सहजमें कर दिया। पर सात-आठ महीनोंके अनुभवसे अंनका वह आवेग ठंडा पड़ गया, अंसा दीखता है। 'व्याघ्र-दुग्ध-वासना' की व्यर्थता समझा कर अन्होंने जिस समय बुनकरोंसे कहा, "भाअियों, इसी-लिये तो गांधीजी कहते थे कि बुनकरोंको हाथ-सूतका सहारा लेना चाहिये।" 'ग्रामोदय' नामक तमिल पाक्षिकने राजाजीके भाषणका जो अुद्धरण दिया है, अंस परसे मैं यह लिख रहा हूं।

दुःखद अितिहास

सन् १९०६ और १९०७ में 'स्वदेशी-आन्दोलन' प्रारंभ हुआ। खादीकी कल्पना अंस आन्दोलनमें नहीं थी। वह अंग्रेजी वस्तुओंके बहिष्कारकी हद तक ही सीमित था। जिसका लाभ मिलवालोंने जिस तरह अुठाया कि स्वदेशी आन्दोलनवाले पस्त हो गये। फिर गांधीजीने स्वदेशीकी कल्पनाका परिष्कार करके कहा कि "वह पुरानी स्वदेशी निकम्मी है। ग्रामोद्योग पर जोर देनेवाली स्वदेशी ही सच्ची है।" यह कहकर अन्होंने खादी निकाली। लेकिन फिर सन् १९३० में जब गांधीजी जेलमें थे, तब अंग्रेज-सरकार पर त्वरित और निश्चित दबाव पड़े, जिसलिये कांग्रेसवालोंने अंक बार फिर

पुरानी स्वदेशीको लोगोंके सामने रखा। अंस समय भी मिलवालोंने वही काम किया! अिधर सन् १९४७-४८ में भी कंट्रोल अुठानेके लिये गांधीजीने तीव्र आक्रोश किया और अाखिर कंट्रोल जैसे-तैसे हटाया गया। गांधीजीने कहा, "व्यापारियों पर जिस समय बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अंनको वस्तुओंके भाव नहीं बढ़ाने चाहिये।" अंसा जता कर वे तो चले गये, पर अिधर मिलवालोंने फिर अपना वही रूप दिखाया।

यह सारा अितिहास भूल जानेकी बहुत बिच्छा होती है। लेकिन ये भले आदमी असे भूलने दें तब न! पुरानी यादगारें बाजी होती रहें, अंसा ही बरताव वे करते हैं!

विनोबा

पूंजी अंक सामाजिक ट्रस्ट है

'हिन्दुस्तान टाइम्स' का विशेष प्रतिनिधि अंक अुद्योगपतिके साथ हुयी अपनी बातचीतकी रिपोर्टके दौरानमें कहता है (पत्रके ७ जुलाई, १९५३ के अंकमें) :

"अंक प्रमुख अुद्योगपतिने, जो नये अुद्योगोंमें बहुत बड़ी पूंजी लगानेकी हैसियत रखते हैं और जिन्हें मैंने पूछा कि वे नये अुद्योगोंमें पैसा क्यों नहीं लगाते, मुझे साफ शब्दोंमें पूछा कि असके लिये क्या प्रेरणा और प्रोत्साहन है? अन्होंने यह कहकर अपने अुत्तरको समझाया कि आज अगर १ करोड़की पूंजी किसी नये अुद्योगमें लगायी जाय, तो वह कमसे कम तीन सालमें मुनाफा देना शुरू करेगी। असके बाद यदि वह मान लीजिये २५ लाखकी कुल आमदनी देती है, तो लगभग १५ लाख रुपये तो विसाअीके रूपमें चले जायंगे, क्योंकि आजकल कारखानेमें ज्यादा मंहंगी मशीनें लगानी होती हैं। बाकी जो रकम बचेगी अंसमें से कर चुकानेके बाद मुश्किलसे ५ लाख बचेंगे; असमें से अगर संबधित अुद्योगपतिसे 'सुपर-टैक्स' काट लिया जाय, तो असके पास मुश्किलसे दो लाख रुपये बचेंगे। असका मतलब यह हुआ कि लगायी हुयी पूंजीको फिरसे पानेके लिये असे ५० साल तक धीरजके साथ प्रतीक्षा करनी होगी।"

तो खुद पूंजी लगानेवालेके हिसाबसे भी लगायी हुयी पूंजी पर असे अपना व्यवस्था-खर्च और अंसे दूसरे खर्च निकालनेके बाद कमसे कम २ प्रतिशत असल मुनाफा होगा। लेकिन अससे असे सन्तोष नहीं है; जैसा कि वह सोचता है, असे असकी पूंजी भी वापस मिलनी चाहिये। असे अससे सन्तोष नहीं होता कि वह अपनी मरजीके मुताबिक अंस पूंजीका अुपयोग करता है और अुचित ब्याज भी वसूल करता है; असे अधिक पूंजी भी पैदा करनी है, ताकि वह अंस पर भी व्यक्तिगत मुनाफा पा सके और पूंजीकी और बढ़ा सके।

संक्षेपमें यह पूंजीवादका सच्चा स्वरूप है। वह असे स्वीकार नहीं करता कि पूंजी लगानेवालेके हाथमें समाजने जो पैसा रखा है वह असकी खानगी मिल्कियत नहीं है, बल्कि असे सौंपा हुआ सामाजिक ट्रस्ट है। सारी पूंजी समाजकी पैदा की हुयी है। असलिये अगर व्यक्तिगत लाभके लिये और सामाजिक हितके खिलाफ असका अुपयोग किया जाय, तो वह सामाजिक अन्याय और पूंजीका दुरुपयोग ही होगा। जब कोजी पूंजी लगानेवाला सामाजिक बचतके नाते मिली हुयी पूंजीको फिरसे किसी अुद्योगमें लगाता है, तो अंसासे ज्यादा वह ब्याज पानेका ही अधिकारी हो सकता है; अंस पूंजी पर असकी मालिकीका केवल अितना ही अर्थ हो सकता है। ट्रस्टीशिपके सिद्धान्तके अनुसार, शांतिपूर्ण और अहिंसक सामाजिक और आर्थिक रचनाकी यही सच्ची बुनियाद है। राज्यको अपने वाणिज्य, अुद्योग और व्यापारिक पेहियोंसे संबध रखनेवाले कानूनमें अस सिद्धान्तका समावेश कर लेना चाहिये।

१३-७-५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाभी देसायी

हरिजनसेवक

२९ अगस्त

१९५३

बचत और सामाजिक सुरक्षा

मध्यमवर्ग संख्याकी दृष्टिसे छोटा तो है, पर हमारे समाजकी रचनाकी वह अेक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। समाजवादकी पारिभाषिक शब्दावलीमें जिसे 'पेटी बुर्जा' या 'अिन्टेलिजेन्शिया' (बुद्धिजीवी वर्ग) कहते हैं, वह मुख्यतः यह मध्यमवर्ग ही है। समाजके सामाजिक और आर्थिक जीवनमें जिस वर्गका अेक विशेष — लगभग केन्द्रीय स्थान है। हमारी आजकी पूंजीवादी व्यवस्थामें जिस वर्गका सदस्य अपनी छोटी बचतके जरिये पूंजीकी रचनाका अेक महत्त्वपूर्ण साधन पेश करता है। और चूंकि यह व्यवस्था मुख्यतः पूंजीके ही आधार पर चलती है, मध्यमवर्गके सदस्यको अेक खास राजनीतिक महत्त्व भी हासिल हो जाता है। अंसे यह पैसा बड़े-बड़े व्यापारोंसे होनेवाले मुनाफेके रूपमें नहीं मिलता; वह बलकं या मैनेजरकी तरह सरकार या बड़ी व्यापारी पेढियोंमें नौकरी करता है, और अिन छोटी-छोटी नौकरियोंसे जो वेतन मिलता है, अुसमें से होनेवाली बचतके रूपमें वह यह पैसा अिकट्टा करता है। असलिये बड़े अुद्योगों और व्यापारवालोंका वह बहुत ताकतवर दोस्त और अत्यंत अुपयोगी अेजेंट होता है। बड़े व्यापारवालोंका काम अुसके बिना नहीं चल सकता। वह न केवल अुनकी नौकरी करता है, बल्कि अुन्हें अपने कार्य-ज्ञान, संगठनशक्ति, बुद्धि और अपनी बचतके जरिये काफी प्रमाणमें पूंजीकी मदद भी देता है।

सरकारकी भी जिस वर्गमें अेक अच्छी सहायक प्राप्त है। सरकारके अधिकांश महकमोंमें जो काम चलता है, अुसका संचालन और संपादन यही वर्ग करता है। नौकरीके जरिये बड़े व्यापारोंके संचालनमें मदद पहुंचाकर वह अुन्हें मुनाफा कमानेमें मदद करता है, जिससे सरकारको कभी तरहकी आमदनी होती है। सरकार अपनी आमदनीके अधिकांशके लिये बड़े व्यापारों पर आधार रखती है। जिस तरह पूंजीवादी व्यवस्थामें मध्यमवर्ग, बड़े व्यापारवालों और सरकारके बीच अेक तरहका समझौता होता है। और अुनका यह समझौता सामान्य जनताके प्रत्यक्ष विरोधमें खड़ा होता है, अंसा चाहे हम न कहें, पर अुसमें सामान्य जनताकी अुपेक्षा तो अवश्य है।

मध्यमवर्गकी जिस बचतके दूसरे पहलूका भी खयाल रखना चाहिये। वे लोग अुसे बीमा, शेअर या स्टॉक आदिमें जमा करते हैं, तो कठिनाईके समय अुन्हें यह बचत काम आती है। जिस तरह जिस वर्गको अेक तरहकी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। जिस सुरक्षाको सामाजिक तो हम कहते हैं, पर असलमें वह अेक वर्गकी या कुछ व्यक्तियोंकी ही सुरक्षा है। वह अकल्पित आपत्तियोंके निवारणार्थ किया हुआ पारिवारिक सुरक्षाका प्रयत्न है। जिस तरह जिस वर्गके लोगोंको बचतके लिये बड़ी प्रेरणा मिलती है और पूंजीवादी व्यवस्थाके साथ सहयोग करने और अुसके लिये काम करनेका अेक बड़ा कारण प्राप्त होता है।

जिसके खिलाफ वैसे तो कोअी आपत्ति नहीं अुठाई जाती। लेकिन यह सवाल जरूर है कि बाकी बहुसंख्यक जनताकी सुरक्षाका क्या हो, जो राष्ट्रके असली काम करनेवाले हैं। बड़े व्यापारोंके अधिपति और मध्यमवर्गके लोग तो अाखिर हमारे समाजका अेक बहुत छोटा अंश हैं। आज हमारी बुद्धि पर जो अर्थशास्त्र हावी है, अुसके अनुसार बेहतर-मजदूरीकी पूंजी और व्यवस्था-शक्तिके दाव स्थान दिया जाता है। न केवल अुसका महत्त्व कम माना जाता

है बल्कि पारिश्रमिक भी कम दिया जाता है। पूंजी तो आयका सबसे बड़ा हिस्सा हड़प जाती है और चैनसे रहती है, लेकिन सामान्य जनता अब्बल तो अभावमें और बेकारीके डरमें रहती है, अन्यथा किसी तरह गुजर-बसर चलाती है। जिस तरह हम देखते हैं कि अुसके लिये तो सामाजिक सुरक्षा जैसी कोअी चीज है ही नहीं।

सवाल यह है कि क्या यह न्याय्य और अुचित है। बेकारीको (यह बेकारी भी मुख्यतः मध्यमवर्गकी है) या शिक्षितोंकी बेकारीको दूर करनेके लिये पूंजी अिकट्टी करनेके नाम पर सरकार और अुद्योग-बंधेवाले, दोनों छोटी बचत (स्मॉल सेविंग्स) को प्रोत्साहन देनेकी पुकार मचाते हैं। सवाल यह है कि अगर यह निर्धन मजदूर और किसान जनताको गरीबी और सामाजिक अरक्षाकी स्थितिमें रखकर ही संभव है, तो क्या अुसे किसी तरह सही और अुचित माना जा सकता है? अुससे किसका हित होगा? क्या यह सर्वोदय है?

जाहिर है कि यह नीति सर्वोदयके अनुकूल नहीं है। और असलिये अगर हम अपनी अर्थरचनाका निर्माण अस तरह करते हैं, तो अुसकी नींव दीन-दुःखी और अरक्षित जनता पर होगी — वह बालू पर अुठायी हुआ भीतकी तरह कमजोर और अस्थिर होगी। जिस तरह हम जनताको आजाद और सुखी प्रजाकी आवश्यक सुविधाओंसे वंचित रखेंगे। असलिये व्यापारका साम्राज्य बढ़ानेवाले अुद्योग-प्रधान पश्चिमकी राह पर चलनेमें न तो बुद्धिमानी है और न वह तात्कालिक लाभकी दृष्टिसे ही ठीक है। हमें तो गांधीजीने सर्वोदयका जो नया रास्ता दुनियाको दिखाया है, अुसके आधार पर अपना नया मार्ग ढूंढना चाहिये। सर्वोदयका आधार यह क्रान्तिकारी सिद्धान्त है कि संसारके लिये शोषण-रहित और मनुजोचित नयी अर्थ-व्यवस्थाका प्रथम और मुख्य साधन मनुष्य और अुसकी मजदूरी है, बाकी सब अुसके बाद आता है और अिन दो की तुलनामें अुसका महत्त्व भी गौण ही माना जाना चाहिये।

२५-८-५३

(अंग्रेजीसे)

मगनभाभी देसाभी

नौजवानोंके जानने लायक

ता० १८-७-५३ के 'हरिजनबंधु' * में प्रकाशित 'ग्रामशक्तिका निर्माण' और 'ग्रामीण तेल-अुद्योग' शीर्षक लेख पढ़कर सूरत जिलेसे अेक ग्रामसेवक भाभी लिखते हैं कि:

"ये लेख यदि गांवके लोगोंकी निगाहमें आ जायें, तो वे जरूर अस पर अमल करेंगे। अेक किसानकी दृष्टिसे मैं असके लाभ नीचे मुताबिक बतलाता हूं:

१. यदि किसान बैल-धानीमें अपने घरकी तिल्ली पेरता है, तो अुसे तेल सस्ता पड़ता है और शुद्ध भी मिलता है;
२. जो भाभी धानी चलायेगा अुसे अच्छी रोजी मिलेगी;
३. तिल और मूंगफलीका अुत्पादन बढ़ेगा;
४. किसान स्वावलम्बी बननेका प्रयत्न करेगा;
५. बैलोंको खानेके लिये ताजी खली मिलेगी।

"असके सिवा तिल या मूंगफलीकी धानीमें से किसानको कौनसी धानी अनुकूल होगी — बैल-धानी या मशीन-धानी? कुछ किसान भाइयोंसे पूछने पर अुनकी ओरसे यह राय

* ये लेख 'हरिजनसेवक' में क्रमशः ता० १८-७-५३ और २५-७-५३ के अंकोंमें अुपर्युक्त शीर्षकसे छपे हैं।

मिली कि गांवमें बैल-धानी ही ठीक होगी। और मैं भी उनके साथ इस बातमें सहमत हुआ।

“मैंने आपके लिखे हुए लेख उनके आगे पढ़कर सुनाये। वे मुन्हें बहुत पसन्द आये। मुन्होंने गांवमें घानी लानेकी कोशिश शुरू कर दी है। हमारे गांवमें बहुतसे भायियोंने अपने खेतोंमें तिल बोयी है। जिस तिलकी फसल, जिसका दाना थोड़ा छोटा होता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। गांवके लोगोंने स्वावलम्बी बननेके लिये मुझे वचन भी दिया है।

“कताबी-कामके लिये बहुतसे भायी तैयार हो गये हैं। चरखा-द्वादशीके दिनसे हमारे गांवके लोय कताबीकी शुरूआत करनेवाले हैं। कपड़ेके बारेमें भी वे जहां तक होगा स्वावलम्बी बनेंगे। यह दिलचस्पी गांवके लोगोंमें इसलिये पैदा हुआ कि पासके गांवमें (भटगाम) बुनाबी-शाला खोली गयी है।

“मैंने गांवके बाहर मैदानमें खड्डे खोदकर बेकार कूड़े-कचरेका (कम्पोस्ट) खाद बनाया है। गांवके लोग जिस काममें मददगार साबित हुये हैं। अगले वर्षसे खड्डोंकी संख्या बढ़ायेंगे और दूसरे भायी भी इस काममें रस लेंगे।

“हमारे गांवमें केवल चार गुजराती वर्गकी शाला है। पिछले सालकी अपेक्षा इस साल विद्यार्थियोंकी कुछ संख्या बढ़ी है और इसके लिये हमारा जिला लोकल बोर्ड वर्ग भी बढ़ा देगा। शालाके आसपास मेहंदीका कम्पाउन्ड भी बनाया है। साथ ही शीतलताके लिये पीपल, बड़, नीम जैसे चार पेड़ भी बोये गये हैं। दूसरे पीधे गांवके आसपास बोकल वृक्षारोपणके कार्यमें भी हम मददगार साबित होंगे।”

अन्तमें यह भायी जो अपना संक्षिप्त परिचय देते हैं, वह भी देखने लायक है:

“अन्नामाके गवर्नमेन्ट अग्रिकल्चरल हायीस्कूलमें खेती-बाड़ीके विषय लेकर मैंने ०.०० सी० की परीक्षा पास की है। अंक हलके दर्जेकी नौकरी करनेके बजाय मैंने अपना ध्यान ग्रामसुधारकी ओर लगाया है।”

शिक्षित बेकार इस तरह सेवा और स्वाश्रयके काम ढूँढ लें और अपने-अपने गांवोंमें जैसे कोयी रचनात्मक काम करें, तो कैसा अच्छा हो? असा क्यों मानना चाहिये कि कोयी पढ़ा-लिखा है इसलिये उसे शहरमें ही जाना चाहिये और आरामके धंधे ही ढूँढने चाहिये?

३१-७-५३

(गुजरातीसे)

मगनभायी देसायी

हमारा नया प्रकाशन

भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

दो साल पहले श्री विनोबाको भूदान-यज्ञकी जो क्रान्तिकारी कल्पना सूझी, उसका अद्भुत सन्देश आज भारतके गांव-गांवमें पहुंच गया है। अतना ही नहीं, इस आन्दोलनने भारतके बाहरके लोगोंका ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। राज्यके हस्तक्षेप या कानूनकी मददके बिना श्री विनोबाने शांतिपूर्ण ढंगसे भारतकी सबसे बड़ी जमीनकी समस्या हल करनेके लिये जो अहिंसक भूदान-आन्दोलन चलाया है, उसकी भूमिका, आरंभ और क्रमिक विकासका पूरा चित्र श्री विनोबाके ही शब्दोंमें पाठकोंको इस छोटीसी पुस्तकमें मिलेगा।

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-६-०

विनोबा प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

www.vinoba.in

काश्मीरकी समस्या

छः बरस पहले पाकिस्तान अलग हुआ कि तुरन्त उसने काश्मीर पर चढ़ायी कर दी; हालांकि उसने दिखावा यह किया कि सीमाप्रान्तके अफ्रीदियोंने काश्मीर पर धावा बोला है। लेकिन उसका यह झूठ पक्के सबूतके साथ पकड़ा गया। जिसलिये भारतने संयुक्त राष्ट्रसंघके सामने इसकी शिकायत की। लेकिन उसने आज तक जिस शिकायतकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है।

फिर भी शरमकी खातिर कभी तरहकी जांच करने और कमीशन भेजनेका ढिलायीका धन्धा पैदा करके अपूरके खास महत्त्वके सवाल पर पर्दा डालने, उसका सीधा जवाब न देने या उसे टालनेके लिये राष्ट्रसंघने खूब पैसा, अक्ल और होशियारी तथा समय खर्च किया है।

भारतने अंक ही बात कही — काश्मीरकी प्रजाको वह जैसा चाहे वैसा करनेकी स्वतंत्रता होनी चाहिये। लेकिन काश्मीर आज भारतमें अपनी जिच्छासे मिला है, इसलिये वस्तुतः और कानूनसे वह भारतका है। इसलिये पहले उसकी भूमि परसे पाकिस्तानकी विदेशी फौज तुरन्त हटनी चाहिये और आजाद काश्मीरकी कही जानेवाली फौज खतम होनी चाहिये। उसके बाद ही काश्मीरकी जनता शान्तिसे आत्म-निर्णय कर सकती है।

इस मुख्य वस्तुसे भारतको विचलित नहीं किया जा सका और 'यूने' के अमरीकी और अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको हार माननी पड़ी, वे थक गये। सत्यकी इस विजयके लिये हमें अीश्वरका आभार मानना चाहिये।

काश्मीरमें धोखेबाजी

इस खुली बातके पीछे खानगी या गुप्त बातें चला ही करती थीं, असा अब तो कहा जा सकता है। लोगोंमें असी बातें आती रहती थीं। अन्तमें जब पंडित जवाहरलालजी लन्दन गये, तब तो असी पक्की लगनेवाली बात आयी कि काश्मीरके टुकड़े होंगे — अंक भारतको मिलेगा, दूसरा पाकिस्तानको और तीसरा स्वतंत्र देश बनेगा।

शेख अब्दुल्ला अंक बार शुरूमें असी बात बोले थे; फिर कुछ समय बाद हालमें कुछ महीनोंसे बीच-बीचमें असी बातें बोलते थे, जिनसे मालूम होता था कि वे स्वतंत्र काश्मीरके सपने देखते हैं। इस तरह उनके बोलनेमें दुरंगी नीतिका दर्शन होनेसे भारतमें कभी लोगोंको उनके रखके बारेमें यह शंका रहती थी कि कौन जाने यह आदमी कब क्या कर बैठेगा। इस सबसे चिढ़कर या घबराकर जम्मूके लोगोंने तो भारतकी हिन्दूवादी ताकतोंके साथ मिलकर इस डरके सामने सत्याग्रह करने तकका बीड़ा अठा लिया।

छोटासा काश्मीर आजकी कमजोरकी निगल जानेवाली दुनियामें स्वतंत्र तो रह ही कैसे सकता है? सिवाय इसके कि उसके पड़ोसी राज्य उसे सलामतीका विश्वास दिलायें या गुप्त मददके लिये किसी दूसरे देशके साथ उसकी साठगांठ हो।

और उसे अलग या स्वतंत्र रहनेकी जरूरत ही क्या है? उसे इसका अधिकार भी क्या है? स्वतंत्र रहनेका उसका बूता कहां है? उसके सामने प्रश्न अतना ही था कि वह पाकिस्तानके साथ मिले या भारतके साथ। वह कभी भी स्वतंत्र राज्य नहीं रहा। लेकिन पता नहीं किस बातसे शेख अब्दुल्लाको अपने स्वतंत्र राज्यका नाद लगा? भारत पर प्रभुकी कृपा है कि समय रहते यह बात खल गयी और शेख अब्दुल्लाने जैसा बोया वैसा काटा। आज वे काश्मीरके मुख्यमंत्री नहीं, उसके नजरबन्द हैं और उन पर तरह तरहके गंभीर और खतरनाक आरोप लगाये गये हैं। उनके स्थान पर गुलाम महम्मद बक्षी मुख्यमंत्री नियुक्त किये गये हैं।

बाहर आनेवाली बातोंसे मालूम होता है कि जिस सारे कांडके पीछे विदेशी सूत्रसंचालन और प्रोत्साहन रहा है। किसका, यह पता नहीं चलता। लेकिन जिस बात पर संयुक्त राष्ट्रसंघको विचार करना चाहिये। जब वह संस्था शांतिके लिये काम कर रही है, तो उसे भी यह जानना चाहिये कि यह मैली और कपटी चाल कौन चलता है। अुसके कुछ आदमी और दूसरे कुछ गोरे काश्मीरमें शंकाभरे काम करते पकड़े गये हैं। कोरियामें लाल चीनने आक्रमण किया असा कहकर संयुक्त राष्ट्रसंघके नाम पर तुरन्त लड़ाईमें कूद पड़नेवाले अमरीकी काश्मीरमें जिस न्यायसे नहीं चले और दूसरी तीसरी बातें करने लगे—जिसे क्या कहा जाय? पाकिस्तानको राष्ट्रसंघने अितना भी न कहा कि तुम्हारा दोष है; बल्कि हमेशा अुसे राजी रखनेका ही प्रयत्न किया।

पाकिस्तान पर असर

शेख अब्दुल्लाके पतनसे पाकिस्तानमें एक नया ही गुल खिला लगता है। अुसे मानो असा लगा कि जिस आदमीसे हमें कुछ फायदा होता वह तो चला गया; अब भारत न मालूम क्या करेगा! जिसलिये वहांकी सरकार काश्मीरके लोकमत पर कुछ अजीब जोर देकर बातें करती है। मानो वह खुद भारतको यह नंची नीति सिखाना या पकड़ाना चाहती है! भारतने तो शुरूसे ही लोकमतकी बात कही है।

तब फिर पाकिस्तान आज भारतको अुसकी याद क्यों दिलाता है? अुसे शायद यह डर है कि काश्मीरकी लोकसभा ही यह प्रश्न हल कर डाले और लोगोंको न पूछे तो क्या होगा? लेकिन असे डरका कोबी कारण नहीं है। फिर भी अगर अुसके लिये कोबी कारण हो, तो वह पाकिस्तान खुद ही पैदा करता है। वह काश्मीरकी भूमिको छोड़कर जाय नहीं और जो अुपद्रव अुसने वहां खड़ा किया अुसे शान्त न करे, तो लोकमत कैसे लिया जा सकता है? काश्मीरमें फौजके साथ अपना अधिकार बनाये रखकर क्या वह जिस प्रकारका कोबी हल चाहता है कि या तो लोकमत लिया जाय या लोकमत लिये बिना ही काश्मीरका किसी तरहका बंटवारा कर दिया जाय तो कोबी हर्ज नहीं? जाहिर है कि भारत असा नहीं कर सकता। जिसमें दोनों पक्षोंको निर्लोभ बनकर और यह मानकर चलना चाहिये कि जो कुछ करना हो लोकमत जानकर ही किया जाय।

और अगर पाकिस्तानी फौज काश्मीरसे न हटे और जिस प्रकार लोकमत लेनेमें बाधा डालती रहे, तो काश्मीरकी प्रजा और अुसकी वैधानिक सरकार कोबी हाथ पर हाथ धरे थोड़े ही बैठनेवाली है। अुसकी लोकसभाको अपना राज्य तो व्यवस्थित रीतिसे संभालना ही होगा। और यह भी नहीं भूला जा सकता कि वह काश्मीरकी प्रजाकी प्रतिनिधि-सभा है।

जिसके अलावा, काश्मीरमें लोकमत लेनेका काम संयुक्त राष्ट्रसंघका है; अुसने यह जिम्मेदारी अपने सिर ली है। जिसलिये अुसकी भी जिसमें परीक्षा होनेवाली है। क्या वह पाकिस्तानसे काश्मीरकी भूमि खाली करायेगा? अगर अुसकी नीयत साफ हो, तो अुसे खुद जिस विषयमें तीव्रता धतानी चाहिये। आशा रखें कि शेख अब्दुल्लाका भंडाफोड़ होनेके बाद राष्ट्रसंघके राजनीतिज्ञ कुछ अधिक जिम्मेदारीसे काम करेंगे।

१७-८-५३

काश्मीरका लोकमत

अुपरकी पंक्तियां लिखी जानेके बाद पाकिस्तान और भारतके प्रधानमंत्रियोंने दिल्लीमें १७ से २० अगस्त तक चार दिन मिलकर क्या बातें कीं, अुनका थोड़ा-बहुत अंदाज हमें मिलता है।

जिसकी एक अधिकृत संयुक्त विज्ञप्ति भी दोनों पक्षोंकी ओरसे निकाली गयी है। अुस विज्ञप्तिने अनेक लोगोंके जिस डरको तो झूठ साबित कर दिया है कि दोनों प्रधानमंत्रियोंकी मुलाकात निष्फल साबित होगी। खुशीकी बात है कि आखिर वह सफल हुयी—भले सफलताकी मात्रा कम-ज्यादा आंकी जाय—क्योंकि विज्ञप्ति परसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि काश्मीरमें लोकमत लेनेके बारेमें बात आगे बढ़ सकी है।

लोकमतके संबंधमें जो मुख्य बातें तय की जा सकी हैं, वे विज्ञप्तिमें जिस प्रकार बतायी गयी हैं:

१. काश्मीरकी समस्या हल करनेमें अुस राज्यकी प्रजाको आत्मनिर्णय करने दिया जाय।

२. अुसका अच्छेसे अच्छा तरीका यह है कि काश्मीरकी प्रजाका कुल मत लिया जाय। कुछ बरस पहले यह तरीका अस्तित्व-यार करनेका निश्चय किया गया था।

३. लेकिन लोकमत लेने जानेमें आरंभमें ही कुछ अड़चनें सामने आती हैं, जिन्हें समझकर दूर करना होगा। अुसके लिये दोनों पक्षके फौजी तथा दूसरे निष्णात लोगोंकी सलाहकार-समितियां नियुक्त की जायगी, जो दोनों प्रधानमंत्रियोंको सलाह देंगी।

४. ये आरंभकी अड़चनें दूर करनेके लिये अब भारत और पाकिस्तान ही सीधा प्रयत्न करेंगे और खुद ही आपसमें समझौता करेंगे।

५. जिस समझौते पर अमल होनेके बाद आगेके कदमके तौर पर लोकमत लेनेकी व्यवस्था की जाय, जिससे अुस कामके लिये कामचलाअु समयपत्रक जसा तय किया जा सके।

६. समयपत्रकके बारेमें यह तय हुआ है कि अप्रैल १९५४ के अन्त तक जम्मू-काश्मीरकी सरकार अपना लोकमत-व्यवस्थापक नियुक्त करे और अुसे लोकमतका सारा काम सौंप दे।

७. लोकमत-व्यवस्थापककी नियुक्तिके पहले अुपर बतायी हुयी शुरूकी अड़चनेंके बारेमें तय करके अुसके मुताबिक अमल किया जाय; जिसके लिये योग्य सलाहकार-समितियां नियुक्त की जाय।

दो प्रधानमंत्रियोंके बीच जो बातचीत हुयी, अुसकी विज्ञप्तिसे अुपरके मुख्य मुद्दे जाननेको मिलते हैं।

जिससे काश्मीरके प्रश्नके संबंधमें निश्चित प्रगति हुयी मालूम होती है। अब सवाल यह है कि:

१. जो शुरूकी अड़चनें हैं वे किसकी पैदा की हुयी और कौनसी हैं? वे सबकी जानी हुयी हैं: आजाद काश्मीर सरकारके नामसे पुकारी जानेवाली सत्ता काश्मीरके अमुक भाग पर कब्जा करके बैठी है, अुसका क्या? पाकिस्तानने काश्मीर पर चढ़ाबी की, अुसका क्या? क्या वहां फिरसे सब ठीक हो जायगा? और भारतके काश्मीर राज्यकी सत्ता सारे प्रदेश पर ठीक ठीक कायम करनेके बाद लोकमत लिया जायगा?

२. लोकमत किस प्रश्न पर लिया जायगा? अुसकी स्पष्ट व्याख्या क्या है?

३. काश्मीरका अमुक हिस्सा अगर भारत या पाकिस्तानके साथ मिलना चाहे, परंतु पूरे राज्यका कुल मत अुसके खिलाफ जाता हो तो क्या होगा? अुस अुस भागके लिये क्या तय किया जायगा?

४. लोकमत-व्यवस्थापक कौन होगा? काश्मीर राज्य किस लोकमत-व्यवस्थापक नियुक्त करेगा—संयुक्त राष्ट्रसंघ कहे अुसे या दोनों राज्य मिल कर तय करें अुसे? मतलब यह कि लोकमत-व्यवस्थापक नियुक्त करनेके काममें संयुक्त राष्ट्रसंघका अब भी कोबी हाथ रहेगा?

आज तक बातचीतमें जसी सफलता मिली वैसी ही आगे भी मिले, यह देखनेका काम दोनों देशोंकी प्रजाका है। अुसके बारेमें दोनों

देशोंका प्रजामत मजबूत होना चाहिये। जिस सम्बन्धमें अक डर पाकिस्तानमें काम कर रहे जिहादवादी पक्षका है। ऐसा लगता है कि उस पक्षमें पाकिस्तानके कुछ मंत्री भी शामिल होंगे। यह पक्ष-ऐसा मानता है कि सारा काश्मीर पाकिस्तानको ही मिलना चाहिये और उसके लिये जिहाद करनेको तैयार रहना चाहिये। ऐसे शुद्ध सम्प्रदायवादी पक्षसे बिल्कुल मिलता-जुलता नहीं, फिर भी कुछ-कुछ उसीके जैसा हिन्दू पक्ष हमारे देशमें भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि जिस पक्षने भी दोनों प्रधान-मंत्रियोंकी विज्ञप्तिका किसी हद तक स्वागत किया है। लेकिन उसे आगेके मुद्दोंका भी शांति और सुलहकी भावनासे हल लानेके लिये तत्पर बनना चाहिये— सारे देशको वैसा बनना होगा। हम आशा रखें कि पाकिस्तानमें हुयी हालकी राजनैतिक क्रान्तिके बाद वहां भी ऐसी ही भावना पैदा करने और उसे मजबूत बनानेमें नये प्रधानमंत्री श्री महम्मदअली सफल होंगे।

२४-८-५३
(गुजरातीसे)

मगनभाजी देसाजी

मद्रासकी प्राथमिक शिक्षाकी योजना

मद्रास राज्यके शिक्षा-विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षाकी सुधारी हुयी योजना पर जो मार्गदर्शिका तैयार की गयी है, उसकी प्रस्तावनामें राज्यके मुख्यमंत्री श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कहते हैं: "जिसमें मुझे जरा भी शंका नहीं कि केवल इसी योजना द्वारा अक्षरज्ञानको व्यापक बनाया जा सकता है और अक्षरज्ञान तथा शरीर-श्रमके बीचकी गहरी खाड़ीको सफलतापूर्वक मिटाया जा सकता है।"

मुख्यमंत्री आगे कहते हैं: "कला, संस्कृति, धर्म या शिक्षाके सारे अच्च सिद्धान्तों और सुधारों पर हमारी मौजूदा अपूर्ण संस्थाओंके जरिये या जिन्हें हम तत्काल आरंभ करना चाहते हैं उनके जरिये ही अमल करना होगा। कभी बड़े सुधारकोंने शिक्षा-पद्धति पर गहरा विचार किया है और हमारे स्कूलोंकी रचनामें समय-समय पर जिस आशासे सुधार होता रहा है कि जिन स्कूलोंमें दिया जानेवाला शिक्षण गुण और परिणामकी दृष्टिसे सुधरेगा।"

"शिक्षाके क्षेत्रमें अन्तिम सुधार करनेवाले थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने जीवनके हर क्षेत्रमें सुधार किया। उन्होंने हमें बुनियादी तालीमके नामसे पहचानी जानेवाली शिक्षा-पद्धति दी; सार्जेंट-रिपोर्टने उसे मान्य किया और भारत-सरकारके प्रस्तावने उस पर अपनी स्वीकृतिकी मुहर लगा दी। हमारे कुछ स्कूलोंमें बुनियादी तालीम पर अमल किया गया। लेकिन अतना काफी नहीं है। हमारे मौजूदा स्कूलों और उनमें काम कर रहे शिक्षकोंके सारे दोषोंके बावजूद हमें अपने सारे प्राथमरी स्कूलोंमें, जो कुछ भी साधन-सामग्री और सुविधायें उनके आसपास विकट्टी की जा सकें उनके साथ, गांधीजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-पद्धतिके सिद्धान्तों पर अमल करनेकी भरसक कोशिश करनी चाहिये।"

"मैं अक नम्र साहसिक हूँ। शिक्षा-मंत्रीने और मैंने शिक्षा-विभागके डायरेक्टरकी मददसे जो योजना तैयार की है, उसे अगर हमारी वर्तमान साधन-सामग्री और मर्यादाओंको ध्यानमें रखकर कुछ समयके लिये तुरन्त अमलमें लायी जा सकनेवाली दूसरी अत्तम योजनाके रूपमें भी स्वीकार कर लिया जाय तो मुझे सन्तोष होगा। मेरा यह पक्का विश्वास है कि मांगके अनुसार तत्काल तैयार किया हुआ अधूरा अध्याग-शिक्षक बुनियादी तालीमके विकासके लिये कार्यक्षम साधन नहीं हो सकता। मैं निश्चित रूपसे यह मानता हूँ कि अपने काम द्वारा रोजी कमानेवाले सच्चे किसान और कारीगरका हमें जिस काममें उपयोग करना चाहिये। प्रस्तुत योजना मुख्यतः इसी विश्वास पर रची गयी है। जिस नयी

योजनाका बुनियादी तालीमके कार्यक्रमके अमल पर कोयी बुरा असर नहीं पड़ेगा। समय आने पर यह योजना हमें ऐसे सच्चे शिक्षक देगी, जिनकी हमें बुनियादी तालीमके लिये जरूरत है।"

योजनाकी तफसील

"घटायें हुये घंटोंवाली प्राथमिक शिक्षाकी योजना म्युनिसि-पैलिटीकी सीमाके बाहरके सारे प्राथमिक स्कूलोंके निचले वर्गोंको लागू होगी। लेकिन बुनियादी तालीमकी शालाओंको यह लागू नहीं होगी, भले वे म्युनिसिपल सीमाके भीतर हों या बाहर। म्युनिसिपल सीमाके बाहरके प्राथमिक स्कूलोंके अपरी दर्जोंको भी यह योजना लागू नहीं होगी।"

स्कूलके घंटे

"पहलेसे पांचवें वर्ग तकके बच्चे दिनमें केवल तीन घंटे ही वर्गोंमें हाजिर रहेंगे। स्कूलोंके वर्ग दिनमें दो बार चलेंगे। हर बार वे तीन घंटे चलेंगे, जिन्हें ४०-४० मिनटके चार विभागोंमें बांट दिया जायगा। उस बीच कमसे कम दो बारमें कुल बीस मिनटकी विद्यार्थियोंको छुट्टी दी जायगी।"

"विद्यार्थियोंको दो समूहोंमें बांट दिया जायगा। अक समूह अक दिन सबेरेके वक्त वर्गोंमें पढ़ेगा और दूसरे दिन दोपहरके समय पढ़ेगा। जिस तरह बारी-बारीसे दोनों समूहोंकी पढ़ाई चलेगी। जिस तरह दिन दो समूहोंमें बांट दिया जायगा और दोनों समूहोंको सबेरे और दोपहरके वर्गोंमें पढ़नेका अकसा मौका मिलेगा।"

"शिक्षकोंको स्कूलमें दोनों समय हाजिर रहना पड़ेगा। आज कुछ जगहोंमें स्कूल हफ्तेमें पांच दिन या साढ़े पांच दिन चलते हैं, उसके बदले अब वे आम तौर पर हफ्तेमें ६ दिन चलेंगे। पूरे सालके लिये कामके कुल कमसे कम दिन आजकी तरह २२० ही निश्चित रहेंगे। उसमें कोयी वृद्धि नहीं होगी।"

पढ़ाये जानेवाले विषय

"स्कूलोंमें नीचेके विषय योग्य वर्गोंमें पढ़ाये जायेंगे: (१) भाषा, (२) प्रारंभिक गणित, (३) ड्राइंग, (४) कुदरतका अध्ययन, (५) इतिहास, (६) भूगोल, (७) आरोग्य और सफाई शास्त्र, (८) नागरिक शास्त्र, (९) नीतिबोध और (१०) संगीत।"

"जिन विषयोंकी पढ़ाईमें आजके जितना ही समय दिया जायगा। यानी पढ़ाईके कुल २१ घंटे (पीरियड) दिये जायेंगे। नयी योजनाके अनुसार हफ्तेमें ६ दिन स्कूल चलेंगे और सब विषयोंको हफ्तेमें पढ़ाईके २४ घंटे मिलेंगे। जिस तरह तीन घंटे बाकी रहेंगे, जिनका उपयोग हेडमास्टर अपनी मर्जीके मुताबिक करेगा। जिसके अलावा, पहले दर्जेमें इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ाया जायगा तथा दूसरे दर्जेसे इतिहासका शिक्षण हटा दिया जायगा। जिसलिये जिन दो दर्जोंको आनंद-प्रमोदकी प्रवृत्तियोंके लिये कुछ फाजिल घंटे मिलेंगे।"

स्कूलके समयके बाहर

"स्कूलके समयके बाहर घर और गांवमें अमलके लिये जो कार्यक्रम सोचा गया है, उसे शिक्षणकी प्रक्रियाका अक कीमती और सहचवपूर्ण अंग समझना चाहिये।"

"यह कल्पना नहीं की गयी है कि स्कूलके बाहरके समयमें शुरूमें बच्चे अध्याग-घंटोंमें काफी भाग लें। उसमें यही अपेक्षा रखी गयी है कि बच्चे अपने आसपास चलनेवाले उत्पादक और उपयोगी कामको अच्छी तरह समझें, उसकी कद्र करें और जिस तरह अपनेमें शरीर-श्रमके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोणका विकास करें। जिस कार्यक्रममें केवल दस्तकारियोंका ही नहीं, बल्कि बच्चे कर सकें जैसे किसी भी शरीर-श्रमके कामका समावेश किया जा सकता है।"

अुत्पादक कामकी प्रवृत्तियां

“पहलेसे तीसरे वर्ग तकके बालकोंके लिये शारीरिक प्रवृत्तियोंमें मुख्यतः खेलकूद, अवलोकन और जिस किसी चीजका वे अवलोकन करें उससे संबंध रखनेवाली जिज्ञासाके समाधानका समावेश होता है। चौथे और पांचवें दर्जेके बच्चोंको भी गांवमें चलनेवाले विभिन्न प्रकारके अुत्पादक और अुपयोगी कामोंमें धीरे-धीरे, निश्चित रूपसे और दिनोंदिन अधिक मात्रामें भाग लेनेके लिये प्रोत्साहित किया जायगा।

“स्कूलके बाहरके कार्यक्रमके समयपत्रकके बारेमें किसी प्रकारकी कट्टरता रखनेकी जरूरत नहीं। जिस संबंधमें अमुक मात्रामें अवश्य छूट रहेगी। बहुत छोटी अुम्रके बच्चोंके लिये अमुक जगह ही जाना या अमुक निश्चित घंटों तक हाजिर रहना अनिवार्य न बनाया जायगा। बड़ी अुम्रके बच्चोंको चुनी हुई जगहोंमें ज्यादा समय तक हाजिर रहनेका बड़ावा दिया जा सकता है। लेकिन अिनके लिये भी घंटोंके बारेमें काफी छूट रखी जा सकती है।

“खेतीके मौसममें बड़ी अुम्रके बहुतसे बच्चोंको गांवमें तथा अुसके आसपास चलनेवाले खेतीके अनेक आसान कामोंका अवलोकन करने, अुन्हें समझने और अुनमें सक्रिय भाग लेनेका प्रोत्साहन दिया जा सकता है। खेतीके मौसमसे बाहरके समयमें बड़ी हद तक दूसरे कामोंका कार्यक्रम बनाना जरूरी होगा।

कामके केन्द्र

“कोजी स्कूल अैसा हो जिसके आसपासकी बस्तीमें जिस प्रकारकी प्रवृत्तियोंमें बच्चोंको लगाना संभव न हो, तो अुस स्कूलको या तो अपने यहां या बाहर कामके केन्द्र शुरू करने चाहिये। परंतु अैसे केन्द्रोंमें भी शिक्षकके रूपमें वे ही कारीगर रखने चाहिये, जो अपना निर्वाह अुस कामके जरिये करते हों और अुस काममें होशियार हों। लेकिन चूंकि आम तौर पर खेती-काम और खास करके शाकभाजीका बगीचा लगाने और घर, स्कूल तथा गांवकी सफाईके काम भी कार्यक्रममें शामिल किये जा सकते हैं, अैसे स्कूल कम ही होंगे जहां बाहरसे कारीगर लाने पड़ेंगे।

“अैसी आशा रखी जाती है कि बालिकाओंको तो अपने-अपने घरमें ही जिस तरहकी प्रवृत्तियोंके लिये काफी मौका मिल जायगा। लेकिन अिनके मां-बाप यह चाहते हों कि अुनकी लड़कियां भी कोजी न कोजी अुद्योग सीखें अथवा दूसरे लड़कोंके साथ या अुनसे अलग रहकर गांवमें काम करें, तो अुन्हें जिसका मौका दिया जाना चाहिये।

“चूंकि कुछ लोगोंने यह सवाल अुठाया है, जिसलिये यह बता देना जरूरी हो जाता है कि दुकानकी व्यवस्थामें मदद करना भी अेक अुद्योग माना जा सकता है; क्योंकि अुसमें भी पुड़ियां बांधना, चीजोंको अुठाना-रखना और दूसरे शारीरिक काम करन होते हैं।

कोजी दबाव नहीं

“यहां जिस बात पर खास जोर दिया जाना चाहिये कि स्कूलके बाहरके वक्तमें चलनेवाली सारी प्रवृत्तियां मां-बाप या बच्चों पर जबरन लादी नहीं जायंगी। हमारा अुद्देश्य अैसा वातावरण और अैसी परिस्थितियां पैदा करनेका है, जिसमें सुधरी हुई योजनाके अनुसार बनाये हुअे कार्यक्रममें बड़े लोग और मां-बापके साथ बच्चे भी दिनोंदिन ज्यादा हिस्सा लेने लगें।

“कम घंटेवाले स्कूलोंकी योजनाका सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह है कि अुद्योग-धंधा करनेवाले माता-पिता चाहें कि अुनके बच्चे स्कूलके बाहरके समयमें अुनके साथ रहें, तो अुन्हें अैसा करने दिया जाय। लेकिन जिस बातका थोड़ा भी दबाव जिसमें नहीं है कि अमुक अुद्योग करनेवाले वर्गके सभी बच्चोंको अुस अुद्योगकी

तालीम अनिवार्य रूपमें लेनी ही चाहिये। काम चुननेमें माता-पिताको पूरी-पूरी स्वतंत्रता दी जायगी।

घरमें मदद

“पहला कदम यह है कि स्कूलके बाहरके समयमें बालक घर-काममें जो कुछ मदद कर सकते हों, वह अुनसे लेनेकी मां-बाप तथा बड़ोंको छूट दी जाय। जिसमें काफी बच्चोंको लगाया जा सकेगा। दूसरा कदम है बच्चोंको छोटे-छोटे समूहोंमें बांटकर अुन्हें अैसे केन्द्रोंमें भेजना, जहां गांवके कारीगर अपना काम करते हों। तीसरा कदम है बच्चोंको खेतीसे संबंध रखनेवाले ज्यादा आसान और सादे कामोंमें लगानेका प्रबंध करना। जिसमें भी काफी बच्चोंको रोका जा सकेगा। जिसके बादका कदम होगा शाकभाजीके बगीचों और घर, स्कूल व गांवकी सफाई वगैरा छोटे-छोटे कामोंका अिन्तजाम करना। और अन्तमें जहां जरूरी हो, वहां स्कूलमें या अुसके अहातेमें किसी अनुकूल शरीर-श्रमके कार्यक्रमकी व्यवस्था की जा सकती है। बच्चोंको किसी न किसी अुपयोगी काममें लगानेके अुपरोक्त कदम अुठानेके बाद जिस बातकी ज्यादा संभावना नहीं रह जाती कि अधिक बच्चे बिना किसी कामके रह जायेंगे।

गांवकी स्कूल-समिति

“स्कूलके बाहरके जिस कार्यक्रमकी कल्पना की गयी है, अुसके अलग-अलग कामोंका मार्गदर्शन गांवकी स्कूल-समिति करेगी। स्कूलके बाहरकी प्रवृत्तियोंके कार्यक्रमके बारेमें न तो कोजी परिमाणमूलक और न दूसरे किसी प्रकारके स्तर निश्चित किये जायेंगे और न विद्यार्थियोंको अेक दर्जेसे दूसरे दर्जेमें चढ़ानेके लिये किसी तरहकी परीक्षा ली जायगी। बच्चोंके प्रसन्न और आनंदी रहने तथा अुपयोगी काममें लगे रहनेसे ही जिस कार्यक्रमकी सफलताकी जांच की जायगी।

आगेका शिक्षण

“यह पाठ्यक्रम पूरा करनेके बाद विद्यार्थी आजकी ही तरह प्राथमिक पाठ्यक्रमके अूचे दर्जेमें दाखिल हो सकेंगे या माध्यमिक स्कूलके पहले दर्जेमें दाखिल हो सकेंगे। स्कूलके बाहरके कार्यक्रम-संबंधी कोजी भी कमी जिसमें रुकावट नहीं डालेगी।”

[‘हिन्दू’, २८-७-१९५३]

(अंग्रेजीसे)

गांधीजीकी शिक्षा-विषयक पुस्तकें

बालपोथी

कीमत ०-३-०

डाकखर्च ०-२-०

सच्ची शिक्षा

कीमत २-८-०

डाकखर्च ०-१५-०

बुनियादी शिक्षा

कीमत १-८-०

डाकखर्च ०-८-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ
हमारे सामने विकल्प	गांधीजी २०१
बेकारीकी समस्या	बिनोबा २०१
बछड़ा और शेरनी	बिनोबा २०३
पूंजी अेक सामाजिक ट्रस्ट है	मगनभाजी देसाजी २०३
बचत और सामाजिक सुरक्षा	मगनभाजी देसाजी २०४
नौजवानोंके जानने लायक	मगनभाजी देसाजी २०४
काश्मीरकी समस्या	मगनभाजी देसाजी २०५
मद्रासकी प्राथमिक शिक्षाकी योजना	२०७